



जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर

क्र.11 / महं.भत्ता / ले.नि. / 23-24 /

दिनांक / / 2024

आदेश

म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ-4-1 / 2023 / नियम / चार दिनांक 19 जुलाई, 2023 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से सातवें वेतनमान अंतर्गत 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2- राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाए:-

अवधि जब से देय	वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत	महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की कुल दर
सातवें वेतनमान अंतर्गत दिनांक 01.07.2023 से	42%	04%	46%

3- उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 01 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जाएगी।

4- राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 मार्च, 2024 (भुगतान माह अप्रैल, 2024) से किया जायेगा।

5- दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमशः माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2024 में किया जायेगा।

6-राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जुलाई 2023 से 29 फरवरी, 2024 की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो गये हैं, उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।

7- महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8- महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

//2//

अतः राज्य शासन के आदेश क्रमांक-एफ-4-1/2024/नियम/चार भोपाल दिनांक 14 मार्च, 2024 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय अमले को भी उपरोक्तानुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जुलाई 2024 से शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार एवं शर्तों के आधीन स्वीकृत किया जाता है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि कंडिका-5 के अनुसार महंगाई भत्ता एरियर्स की राशि का भुगतान विश्वविद्यालय अंतर्गत राशि उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

Sd/-

लेखानियंत्रक

क्र.11/महं.भत्त/ले.नि./23-24/1231

दिनांक 18/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर।
3. समस्त संचालक/सह संचालक/वरिष्ठ वैज्ञानिक/वैज्ञानिक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
5. उपलेखानियंत्रक/कार्यपालन यंत्री/लेखा अधिकारी/समस्त सहायक लेखानियंत्रक/समस्त सहायक लेखा अधिकारी/समस्त अनुभाग अधिकारी/सहायक पुस्तकालय, ज.न.कृ.वि.वि. जबलपुर।
6. कुलपति जी के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर।
7. आवासीय उप संचालक/समस्त आवासी सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर/रीवा/सागर/टीकमगढ़/नरसिंहपुर/दमोह/पन्ना/सतना/सीधी वारासिवनी।
8. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।

लेखानियंत्रक